कैलिफ़ोर्निया कार्यस्थल - अपने अधिकार जानें

कैलिफ़ोर्निया में एक वर्कर (श्रमिक) के रूप में, आप अपने कार्यस्थल और संवैधानिक अधिकारों को जानने और उनका प्रयोग करने के हकदार हैं। लेबर लॉ (श्रम कानून) , जिनमें मजदूरी, काम के घंटे और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मानक शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, राज्य के सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं, *चाहे उनकी आव्रजन (इमिग्रेशन) स्थिति कुछ भी हो।*

आपके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आपके नियोक्ता द्वारा आपके खिलाफ प्रतिशोध (retaliate) लेना कानून के विरुद्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- श्रम आयुक्त (Labor Commissioner), कैल/ओशा (Cal/OSHA), नागरिक अधिकार विभाग (Civil Rights Department), या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के पास शिकायत दर्ज करना।
- संघीय, राज्य या स्थानीय कानूनों के साथ अपने नियोक्ता के अनुपालन के बारे में पूछना।
- दूसरों के साथ उनके अधिकारों के बारे में बात करना या संघीय, राज्य या स्थानीय कानून के तहत उनके अधिकारों का प्रयोग करने में उनकी मदद करना।

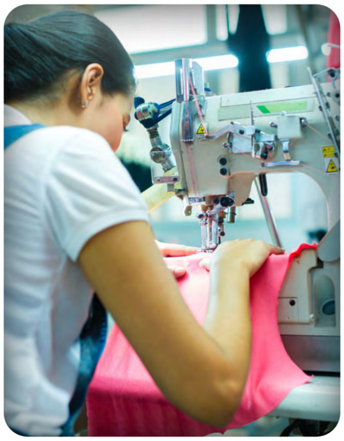

गलत तरीके से बदला लेना (Illegal Retaliation) के उदाहरणों में आपको नौकरी से निकालना, आपके काम के घंटे कम करना, या आपके अधिकारों का प्रयोग करने के कारण आपको या आपके किसी रिश्तेदार को आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों को रिपोर्ट करने की धमकी देना शामिल है।

आव्रजन (इमिग्रेशन) स्थिति से संबंधित कार्यस्थल सुरक्षा

आव्रजन निरीक्षण (Immigration Inspections) के नोटिस का आपका अधिकार *(लेबर कोड § 90.2)*

यदि आपके नियोक्ता को I-9 रोजगार पात्रता सत्यापन (Employment Eligibility Verification) फॉर्म या अन्य रोजगार रिकॉर्ड के आगामी आव्रजन (इमिग्रेशन) एजेंसी के निरीक्षण का नोटिस प्राप्त होता है, तो आपके नियोक्ता को उस नोटिस को प्राप्त करने के 72 घंटों के भीतर श्रमिकों और उनके संघ (यूनियन) प्रतिनिधि, यदि लागू हो, को सूचित करने वाला एक नोटिस पोस्ट करना होगा।

अनुचित आव्रजन (इमिग्रेशन)-संबंधी प्रथाओं के खिलाफ आपकी सुरक्षा *(लेबर कोड §§ 1019-1019.2)*

कैलिफ़ोर्निया कानून के तहत, अगर आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो आपका मालिक (Employer) आपसे बदला नहीं ले सकता। आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़ी धमकी देना या आपके खिलाफ कोई गलत कदम उठाना पूरी तरह गैरकानूनी (Illegal) है। अगर आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मालिक (Employer) नीचे दी गई चीजें नहीं कर सकता:

- I-9 प्रक्रिया (पहचान का प्रमाण और काम करने की संघीय अनुमति) के दौरान उन पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार करना जो वास्तविक प्रतीत होते हैं।
- ई-वेरिफाई (E-Verify) का उपयोग ऐसे तरीके से करना जो कानून द्वारा आवश्यक या अधिकृत नहीं है।
    - उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी की रोजगार पात्रता को फिर से सत्यापित (Verify) करने के लिए ई-वेरिफाई का उपयोग करना जब ऐसा करना कानूनी रूप से आवश्यक न हो, या बिना किसी वैध आधार के कार्यस्थल में सभी वर्कर के बजाय केवल विशिष्ट वर्कर की जांच करना।
- आपको या आपके परिवार को आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों को रिपोर्ट करना या रिपोर्ट करने की धमकी देना।
- पुलिस या किसी राज्य या संघीय एजेंसी के पास कोई भी झूठी रिपोर्ट दर्ज करना या दर्ज करने की धमकी देना।

आपातकालीन संपर्क नामित करने का आपका अधिकार *(लेबर कोड § 1555)*

आपके मालिक (Employer) को आपको आपातकालीन संपर्क जानकारी प्रदान करने की छूट (Permission) देनी **चाहिए** और यह इंगित करने का अवसर देना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि कार्यस्थल पर गिरफ्तार होने या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में आपके आपातकालीन संपर्क को सूचित किया जाए। यदि आपको कार्यस्थल पर गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है और आपके मालिक (Employer) को इसकी जानकारी होती है, तो यदि आपने वह विकल्प चुना है, तो उन्हें आपके नामित आपातकालीन संपर्क को सूचित **करना होगा**।

कार्यस्थल में यूनियन बनाने या संरक्षित गतिविधि में शामिल होने का आपका अधिकार

कैलिफ़ोर्निया में अधिकांश कर्मचारियों के पास यूनियन बनाने, उसमें शामिल होने या यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। कर्मचारियों के पास काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए या सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) के उद्देश्य से काम से संबंधित मुद्दों और चिंताओं को हल करने के लिए सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करने का भी अधिकार है। **इसका अर्थ यह है कि आपके पास बेहतर काम करने की स्थितियों का अनुरोध करने या काम से संबंधित चिंताओं को उठाने के लिए साथ काम करने वालों (Co-workers) के साथ जुड़ने का अधिकार है, जिसमें वेतन, काम के घंटे, स्वास्थ्य और सुरक्षा और रोजगार की अन्य शर्तें शामिल हैं।** आपके पास यूनियन की गतिविधियों या संरक्षित (Protected) गतिविधियों में भाग न लेने का भी अधिकार है। आपके नियोक्ता के लिए यह अवैध है:

- आपकी यूनियन गतिविधि या सुरक्षित (Protected) गतिविधियों में हस्तक्षेप (Interference) करना या उन्हें रोकना या डराना (Discourage)।
- आपके यूनियन समर्थन या सुरक्षित (Protected) गतिविधियों के कारण आपको धमकी देना, या आपके खिलाफ बदला लेना (Retaliation) या भेदभाव करना।

कार्यस्थल में कानून प्रवर्तन (law enforcement) अधिकारियों, जिनमें आव्रजन (इमिग्रेशन) एजेंट भी शामिल हैं, के साथ बातचीत करते समय आपके अधिकार

कैलिफ़ोर्निया के वर्कर (श्रमिकों) के पास **उनकी आव्रजन (इमिग्रेशन) स्थिति की परवाह किए बिना**, अमेरिकी संविधान के तहत कुछ अधिकार और सुरक्षाएं हैं, जिसमें वह समय भी शामिल है जब कानून प्रवर्तन अधिकारी (संघीय आव्रजन (इमिग्रेशन) एजेंटों सहित) आपसे संपर्क करते हैं। इसके अतिरिक्त, कैलिफ़ोर्निया कानून के तहत, राज्य और स्थानीय पुलिस ज्यादातर मामलों में आव्रजन (इमिग्रेशन) के कामों में ICE जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद नहीं कर सकते हैं।

अनुचित तलाशी से मुक्त होने का आपका अधिकार *(अमेरिकी संविधान, 4था संशोधन)*

- यदि कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिनमें आव्रजन (इमिग्रेशन) एजेंट भी शामिल हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या वे आपकी या आपके व्यक्तिगत सामान की तलाशी ले सकते हैं, तो जब तक उनके पास विशेष रूप से आपकी या आपके व्यक्तिगत सामान की तलाशी लेने के लिए अधिकृत करने वाला न्यायिक वारंट न हो, आपके पास “नहीं” कहने का अधिकार है।
- यदि अधिकारी तलाशी लेता है, भले ही आपने मना कर दिया हो – तो शांत रहें, शारीरिक रूप से विरोध न करें और भागें नहीं।

कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना वारंट के सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यस्थल की लॉबी, प्रतीक्षालय, सार्वजनिक भोजन क्षेत्र या पार्किंग स्थल शामिल हो सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में, बिना सहमति के आपके कार्यस्थल के गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को एक न्यायिक वारंट, की आवश्यकता होती है, जिस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर हों। गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में ब्रेक-रूम, कर्मचारियों का शौचालय, कार्यक्षेत्र, या ऐसा कोई भी क्षेत्र शामिल हो सकता है जहाँ “केवल कर्मचारियों के लिए” का निशान लगा हो। प्रशासनिक फॉर्म, जैसे कि I-200 या I-205, न्यायिक वारंट नहीं हैं।

कैलिफ़ोर्निया में, आपके नियोक्ता के लिए किसी आव्रजन (इमिग्रेशन) प्रवर्तन एजेंट को कार्यस्थल के गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए स्वैच्छिक सहमति देना प्रतिबंधित है। बिना न्यायिक वारंट के, आपके नियोक्ता को आव्रजन (इमिग्रेशन) प्रवर्तन अधिकारियों को कार्यस्थल के गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश देने से मना करना होगा।

अधिक विस्तृत जानकारी DOJ और LCO के संयुक्त इमिग्रेंट वर्कर प्रोटेक्शन एक्ट FAQ' (https://oag.ca.gov/system/files/media/ab450-faqs.pdf)में मिल सकती है।

बिना वजह तलाशी या सामान छीने जाने से बचने का आपका अधिकार। *(अमेरिकी संविधान, 4था संशोधन)*

- आपको बिना वजह सामान छीने जाने या पकड़े जाने के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें आपको हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना भी शामिल है।
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास आपको रोकने और आपसे पूछताछ करने या आपकी तलाशी लेने से पहले किसी गलत काम का “उचित संदेह” होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, “क्या मुझे हिरासत में लिया जा रहा है?” या “क्या मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ?” यदि अधिकारी कहता है कि आपको हिरासत में नहीं लिया जा रहा है या आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप शांति से वहाँ से जा सकते हैं।

- गिरफ्तारी के लिए “संभावित कारण” का होना आवश्यक है और यह तब होती है जब किसी व्यक्ति को कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है।
- कानून प्रवर्तन एजेंटों को सार्वजनिक स्थान पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपके पास एक वकील से बात करने का अधिकार है। आप पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। आपको वकील से बात किए बिना किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है।

चुप रहने का आपका अधिकार *(अमेरिकी संविधान, 5वां संशोधन)*

- कानून प्रवर्तन अधिकारियों से आप जो कुछ भी कहते हैं, उसका उपयोग अदालत में आपके विरुद्ध किया जा सकता है।
- आपके पास चुप रहने का अधिकार है, भले ही आपसे आपकी आव्रजन (इमिग्रेशन) स्थिति के बारे में पूछा जाए।
- यदि आप चुप रहना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से ऐसा कहें, वकील से बात करने का अनुरोध करें **और फिर चुप रहें।**
- किसी अधिकारी को गलत जानकारी, फर्जी पहचान पत्र (ID), या नकली दस्तावेज प्रदान न करें। फर्जी दस्तावेज प्रदान करना एक संघीय अपराध है और इसके गैर-नागरिकों के लिए गंभीर आव्रजन (इमिग्रेशन) परिणाम हो सकते हैं।

प्रथम संशोधन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ बातचीत को रिकॉर्ड करने का आपका अधिकार

आम जनता को सार्वजनिक स्थानों पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को देखने और उन्हें रिकॉर्ड करने का अधिकार है। यदि आप रिकॉर्ड करना चुनते हैं, तो आपको सुरक्षित दूरी पर खड़ा होना चाहिए और अधिकारी की कार्रवाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। शारीरिक बाधा या मौखिक विवाद बढ़ाना आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और इसके कारण आपराधिक आरोप लग सकते हैं।

कानूनी प्रतिनिधित्व (वकील) तक पहुँच

यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपके पास एक वकील पाने का अधिकार है। यदि आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो एक आपराधिक मामले में अपनी ओर से बात रखने या अपना केस लड़ने के लिए आप सरकार द्वारा नियुक्त वकील प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, यदि आपको नागरिक आव्रजन (इमिग्रेशन) उल्लंघन के लिए यू.एस. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) या यू.एस. कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP), जिसमें बॉर्डर पेट्रोल भी शामिल है, द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो आपके पास वकील से सलाह लेने का अधिकार तो है, लेकिन सरकार के लिए आपको वकील देना जरूरी नहीं है। यदि आपको ICE या CBP द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो आप कुछ भी कहने या किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले वकील से बात करने के अपने अधिकार का उपयोग (invoke) कर सकते हैं। आप अपने वाणिज्य दूतावास (consulate) से बात करने के लिए भी कह सकते हैं, जो आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं।

वर्कर (श्रमिक) मुआवजा (Workers' Compensation)

यदि आप अपने काम के कारण घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, तो आपके पास वर्कर (श्रमिक) मुआवजा लाभ पाने का अधिकार है। ये लाभ आपको आपकी चोट/बीमारी के लिए इलाज की सुविधा देते हैं, ठीक होने के दौरान आपके नुकसान हुए वेतन की आंशिक रूप से भरपाई करते हैं और आपको काम पर वापस लौटने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए, www.dir.ca.gov/dwc/ पर जाएँ या 1-800-736-7401 पर कॉल करें।

यदि मुझे लगता है कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?

यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो नीचे उन सरकारी एजेंसियों की सूची दी गई है जहाँ आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कैलिफ़ोर्निया औद्योगिक संबंध विभाग (Department of Industrial Relations, DIR):

कैलिफ़ोर्निया श्रम आयुक्त का कार्यालय (Labor Commissioner's Office):

जानकारी:
(833) LCO-INFO (833-526-4636)

इमिग्रेशन हेल्पलाइन:
(855) 526-7775

www.dir.ca.gov/dlse/

कैलिफ़ोर्निया वर्कर (श्रमिक) मुआवजा विभाग (Division of Workers Compensation, DWC)

(800) 736-7401

dir.ca.gov/dwc/

कैलिफ़ोर्निया व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग (Occupational Safety and Health, Cal/OSHA)

(833) 579-0927

https://www.dir.ca.gov/dosh/

अन्य कैलिफोर्निया एजेंसियां:

कैलिफ़ोर्निया अटार्नी जनरल (Attorney General, AG)

(800) 952-5225

www.oag.ca.gov

कैलिफ़ोर्निया नागरिक अधिकार विभाग (Civil Rights Department, CRD)

(800) 884-1684

calcivilrights.ca.gov/

कैलिफ़ोर्निया कृषि कर्मचारी: **कृषि श्रम संबंध बोर्ड (Agricultural Labor Relations Board, ALRB)**

(800) 449-3699

www.alrb.ca.gov

कैलिफ़ोर्निया के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और परिवहन नेटवर्क कंपनी के ड्राइवर: **सार्वजनिक रोजगार संबंध बोर्ड (Public Employment Relations Board, PERB)**

(916) 322-3198

perb.ca.gov

संघीय एजेंसियां:

निजी क्षेत्र के कर्मचारी:
राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड (National Labor Relations Board, NLRB):

(844) 762-6572

www.nlrb.gov

संघीय कर्मचारी:
अमेरिकी संघीय श्रम संबंध प्राधिकरण (Federal Labor Relations Authority, FLRA):

(771) 444-5801

https://www.flra.gov/

रेलवे और एयरलाइन कर्मचारी:
राष्ट्रीय मध्यस्थता बोर्ड (National Mediation Board, NMB):

(202) 692-5000

https://nmb.gov/NMB_Application/

गैर-सरकारी संगठन:

आप सहायता के लिए किसी गैर-लाभकारी कानूनी या समुदाय-आधारित संगठन से भी संपर्क कर सकते हैं। उन संगठनों की सूची के लिए जो श्रमिकों को उनके अधिकारों को समझने में मदद करने हेतु राज्य की एजेंसियों के साथ साझेदारी करते हैं, दाईं ओर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.dir.ca.gov/dlse/Nonprofit-Legal-and-Community-Based-Organizations-Serving-Workers.html पर जाएँ।